रजिस्ट्री सं० डी० ए० 221 REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 634] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 1971/पौष 3, 1893

No. 634] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 1971/PAUSA 3, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

*New Delhi, the 24th December 1971*

**S.O. 5574/18A/IDRA/71.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notified order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 5052/18/IDRA/69, dated the 26th December, 1969, namely:—

In the said Order, in paragraph 3, for the words "two years" the words "four years" shall be substituted.

[No. 9(9) Lic. Pol./69.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

## औद्योगिक विकास मंत्रालय

### आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1971

का० आ० 5574/18ए/आई० डी० आर० ए०/71.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भतपूर्व औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्रालय (अ2द्योगिक विकास विभाग) के अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 5052/18/आई डी आर ए/69, तारीख 26 दिसम्बर, 1969 में और और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

उक्त आदेश में, परा 3 में "दो वर्ष" शब्दो के स्थान पर, "चार वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाऐंगे ।

[सं० 9(9) लाइस० पोल०/69]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971